

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(बस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)

के रे बो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट,

मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068



CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. Of India)

CSB Complex, BTM Layout

Madivala, Bengaluru - 560 068

No: CSB/29/GPF/CIR/2004-05/PF

Date: 04.01.2018

To

All the Units of Central Silk Board,

Sir/Madam,

Sub: Sanction of GPF advance/PFW to Officers & Officials of Central Silk Board.

This is to inform that individual GPF Accounts for the Financial year 2017-18 are required to be posted and brought up to date to facilitate the calculation of interest due for the year 2017-18 and to credit on 31.03.2018. Routine advance/withdrawal of amount from GPF in the month of February and March 2018 will cause inconvenience and affect the process of calculation of interest before the closing of account for the year 2017-18. Therefore, all the Officers/Officials are strictly advised to avoid submission of routine application for grant of advances/withdrawals from the GPF account after 15.02.2018 unless the purpose for which advances/Partial Final Withdrawal are sought are of very emergency, essential and immediate in nature. Application of routine nature, if any, received from any Officers/Officials after 15.02.2018 will be considered only after closure of the financial year 2017-18 i.e., it shall be processed during the month of April 2018 and this may kindly be brought to the notice of all the Officers/Officials of Central Silk Board working under your control

All are requested to co-operate for timely closure of GPF accounts for 2017-18.

Yours faithfully

(CA MANOHA RAN.A)
JOINT DIRECTOR (FINANCE)

Copy to the Deputy Director (Computer) Central Office, CSB, Bangalore for uploading in website.



वेबसाइट Website : <https://csb.gov.in>

फोनPhone : 080-26282300/03/04

फैक्सFax : 080-26781458





केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला

CSB Complex, BTM Layout, Madiwala

बेंगलूरु Bangalore - 560068

सं : केरेबो-29/सा भ नि/परिपत्र /2004-05/भ नि

04.01.2018

सेवा में

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी इकईयां


विषय : केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/आंशिक अंतिम निकासी की संस्वीकृति के संबंध में ।

महोदय/महोदया,,

यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए व्यक्तिगत सामान्य भविष्य निधि खातों की प्रविष्टि किया जाना तथा अद्यतन बनाना अपेक्षित है ताकि वर्ष 2017-18 के लिए देय ब्याज की गणना कर 31.03.2018 को जमा किया जा सके । वर्ष 2017-18 के लिए लेखा बंद करने के पहले माह फरवरी तथा मार्च, 2018 में सा भ नि से राशियों की नेमी निकासी से असुविधा होगी तथा ब्याज की गणना प्रक्रिया प्रभावित होगी । अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि 15.02.2018 के बाद सा भ नि खाते से अग्रिम/निकासी प्रदान करने के लिए नेमी आवेदन-पत्र प्रस्तुत न करें जब तक कि उद्देश्य जिसके लिए मांगा गया अग्रिम/आंशिक अंतिम निकासी बहुत अपरिहार्य/अनिवार्य एवं तात्कालिक प्रकृति का न हो । 15.02.2018 के बाद किसी अधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त नेमी प्रकृति के आवेदन-पत्र यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष 2017-18 के समापन होने के पश्चात् अर्थात् अप्रैल, 2018 में ही उन पर विचार किया जाएगा । कृपया इसे आपके नियंत्रणाधीन कार्यरत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए ।

सभी से अनुरोध है कि वर्ष 2017-18 के सामनि खाता समय पर बंद करने के लिए सहयोग दें ।

भवदीय,



(सीए मरोहरन.ए)
संयुक्त निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि: उप निदेशक(कंप्यूटर),केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो, बेंगलूरु वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए